भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2114**

(जिसका उत्तर 01 जनवरी, 2019/11 पौष, 1940 (शक) को दिया जाना है)

**पेंशन के संबंध में स्थायी समिति की सिफारिशों (जेसीएम) का क्रियान्वयन**

2114. श्री बिनोय विश्वमः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के अंतर्गत सरकार के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत दी गई पेंशन की औसतन रकम कितनी है और 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए क्या-क्या प्रावधन हैं;

(ख) 14 दिसम्बर, 2007 को आयोजित राष्ट्रीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक की सिफारिश क्या है, क्या सरकार ने इस सिफारिश का क्रियान्वयन किया था, यदि नहीं, तो क्रियान्वयन न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने 1 जनवरी, 2004 के बाद भर्ती किए गए नये कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया है कि उनकी पेंशन सीसीएस पेंशन नियम, 1972 के अंतर्गत दी जाने वाली पेंशन से कम नहीं होगी और इस आश्वासन को लेकर क्या प्रगति हुई है?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)

**(क):** पेंशन और पेंशनभोगी कल्‍याण विभाग (डीपीपीडब्‍ल्‍यू) द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, 01.01.2004 से पहले सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाली सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के अंतर्गत अर्हक सेवा जो कि 10 वर्ष से कम नहीं होगी को पूरा करने के उपरांत एक कर्मचारी अपने अंतिम वेतन की 50 प्रतिशत अथवा पिछले 10 माह के औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत की दर से, जो भी उसके लिए अधिक लाभकारी हो, पेंशन हेतु पात्र है।

 इसके अतिरिक्‍त, दिनांक 01.01.2014 को अथवा उसके बाद नियुक्‍त सरकारी कर्मचारी राष्‍ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत कवर होता है, एनपीएस के बहिर्गमन पर कर्मचारी को देय पेंशन/वार्षिकी की राशि सरकारी कर्मचारी के पेंशन खाते में संचित पेंशन निधि पर निर्भर करती है।

**(ख) और (ग):** 7वें सीपीसी की सिफारिशों के अनुसरण में एनपीएस को युक्तिसंगत बनाने के उपाय सुझाने हेतु सचिवों की एक समिति गठित की गयी थी। समिति ने जांच तथा एनपीएस के अंतर्गत विभिन्‍न पणधारक और स्‍टाफ पक्ष (जेसीएम) के साथ परामर्श करके दिनांक 28.02.2018 अपनी रिपोर्ट प्रस्‍तुत की थी। सरकार ने समिति की सिफारिशों के आधार पर एनपीएस को युक्तिसंगत बनाने तथा सम्‍पोषणीय न्‍यूनतम पेंशन डिलिवरी सुनिश्चित करने के लिए प्रस्‍तावों को दिनांक 06.12.2018 को अनुमोदित किया है। उपाय निम्‍नानुसार हैं:-

(i) एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए उसके कर्मचारियों के टियर-I खातों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनिवार्य अंशदान को मौजूदा 10% से बढ़ाकर 14% किया गया है। कर्मचारियों की अंशदान दर मौजूदा 10% बनी रहेगी।

(ii) केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन निधि तथा निवेश के तरीके का चयन करने के विकल्प की स्वतंत्रता प्रदान करना।

(iii) निकासी पर एकमुश्त आहरण के लिए टैक्स छूट सीमा को बढ़ाकर 60% किया गया है। इसके साथ अब सम्पूर्ण आहरण को आयकर से छूट प्राप्त होगी।

**\*\*\*\*\***